प्रेस नोट
दिनांक 10.10.2024

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़कियों को जबरजस्ती कार में बिठाकर भगा ले जाने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–271/24, धारा 87,74 बीएनएस, 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)डब्ल्यू एस0सी0एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. रहमत अली उर्फ कालिया पुत्र युसुफ, 02. नासिर खान उर्फ मन्नू पुत्र मो0 मुकिम उर्फ मुस्तकीम निवासीगण ग्राम बग्गीरोड अलावल देवरिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को बग्गी रोड नहर पुलिया नौसी रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.10.2024 की रात्रि करीब 9:00 बजे थाना धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली दो नाबालिग चचेरी बहने खाना खा कर घर के बाहर रोड पर टहल रही थी कि कार सवार दो लड़को द्वारा आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए उन दोनो लड़कियों को कार में बैठा लिया गया तथा कार को लखनीपुर के पास सुनसान जगह पर रोककर उनके साथ अश्लील हरकत करने लगे थे। लड़कियों के चिल्लाने से ग्रामीणों की आने की आहट पर कार सवार दोनो लड़को द्वारा लड़कियों को वही पर छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर पर थाना धानेपुर में 02 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 10.10.2024 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों– 01. रहमत अली उर्फ कालिया पुत्र युसुफ, 02. नासिर खान उर्फ मन्नू पुत्र मो0 मुकिम उर्फ मुस्तकीम को बग्गी रोड नहर पुलिया नौसी रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रहमत अली उर्फ कालिया पुत्र युसुफ नि0 ग्राम बग्गीरोड अलावल देवरिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. नासिर खान उर्फ मन्नू पुत्र मो0 मुकिम उर्फ मुस्तकीम नि0 ग्राम बग्गीरोड अलावल देवरिया थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–271/24, धारा 87,74 बीएनएस, 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)डब्ल्यू एस0सी0एस0टी0 थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 जयहिन्द।
02. हे0का0 आनन्द सिंह।
03. का0 शाकिर अली।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 10.10.2024

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा पटाखे विस्फोट की घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–446/24, धारा 3/5/8 विस्फोटक पदार्थ अधि0, बढोत्तरी धारा 3(5)/105/110 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त आजाद पुत्र मो0 अरसद नि0 उमरीरोड रगड़गंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को चांदपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 07.10.2024 को करीब 13.00 बजे थाना तरबगंज क्षेत्रांतर्गत बेलसर डीहा के एक खाली पड़े घर में बाहर से ताला लगाकर कर अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम हो रहा था, जिसमें अचानक धमाका होने से पटाखा बना रहे 05 लोग 01. इशहाक पुत्र नक्खू, 02. अयूब उर्फ लल्लू पुत्र नक्खू, 03. आकाश उर्फ छोटू, 04. कृष्ण कुमार पुत्र छबीले, 05. अयाज मोहम्मद उर्फ तूफान निवासीगण बेलसर डीहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारीगणों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल गोण्डा भिजवाया गया। मौके पर डॉग स्क्वायड एवं फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। उपचार के दौरान 03 लोगों–01. अयूब उर्फ लल्लू, 02. आकाश उर्फ छोटू, 03. अयाज मोहम्मद उर्फ तूफान की मृत्यु हो गई। घटना के सम्बन्ध में थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 उपेन्द्र यादव द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 10.10.2024 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त आजाद पुत्र मो0 अरसद को चांदपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. आजाद पुत्र मो0 अरसद नि0 उमरीरोड रगड़गंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–446/24, धारा 3/5/8 विस्फोटक पदार्थ अधि0, बढोत्तरी धारा 3(5)/105/110 बी0एन0एस0 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 उपेन्द्र यादव।
02. का0 अमित कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 10.10.2024, थाना कौडिया
जनपद गोण्डा।

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार अवैध पटाखें(लगभग 16 कुंटल) व बनाने के उपकरण (लगभग 8.70 कुंटल) के साथ 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध पटाखों के निर्माण/भंडारन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना कौडिया पुलिस द्वारा ग्राम मौहरिया मौजा रामापुर व लैबुड़वा में दविश देकर अवैध पटाखों के निर्माण/भंडारन में संलिप्त 05 आरोपी अभियुक्तो 01. जुमई उर्फ मक्खन, 02. रिजवान, 03. इमरान उर्फ गुल्लू, 04. अली मोहम्मद, व 05. मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से निर्मित पटाखा, सुतली बम, स्काई बम, लहसुन बम, छुरछुरी, आनार आदि (लगभग16 कुंटल अवैध पटाखा) व बनाने के उपकरण- 02 कुंटल बुरादा, 01 कुंटल लालरेत, 01 कुंटल पेपर, 50 किलो सुतली, 1.5 कुंटल सन, 2.5 कुंटल बारूद, 20 किलो पीला पाऊडर (कुल लगभग 8.7 कुंटल) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.10.2024 को थाना कौड़िया की पुलिस टीमें थाना क्षेत्र में नवरात्रि दुर्गा पूजा के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में लगे पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु रवाना थे कि प्राप्त अवैध पटाखों के निर्माण/भंडारन की सूचना पर थाना कौड़िया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मौहरिया मौजा रामापुर व लैबुड़वा में दविश देकर अवैध पटाखों के निर्माण/भंडारन में संलिप्त 05 आरोपी अभियुक्तो 01. जुमई उर्फ मक्खन, 02. रिजवान, 03. इमरान उर्फ गुल्लू, 04. अली मोहम्मद, व 05. मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से निर्मित पटाखा, सुतली बम, स्काई बम, लहसुन बम, छुरछुरी, आनार आदि (लगभग16 कुंटल अवैध पटाखा) व बनाने के उपकरण- 02 कुंटल बुरादा, 01 कुंटल लालरेत, 01 कुंटल पेपर, 50 किलो सुतली, 1.5 कुंटल सन, 2.5 कुंटल बारूद, 20 किलो पीला पाऊडर (कुल लगभग 8.7 कुंटल) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

01. जुमई उर्फ मक्खन पुत्र शफी मोहम्मद निवासी मौहरिया मौजा रामापुर थान कौड़िया जनपद गोण्डा
02. रिजवान पुत्र जुमई उर्फ मक्खन निवासी मौहरिया मौजा रामापुर थान कौड़िया जनपद गोण्डा
03. इमरान उर्फ गुल्लू पुत्र जुमई उर्फ मक्खन मोहम्मद निवासी मौहरिया मौजा रामापुर थान कौड़िया जनपद गोण्डा
04. अली मोहम्मद पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी लैबुड़वा थान कौड़िया जनपद गोण्डा
05. मोहम्मद आरिफ पुत्र अली मोहम्मद निवासी लैबुड़वा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-249/24, धारा 288 बीएनएस व 9बी विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना कौडिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-250/24, धारा 288 बीएनएस व 9बी विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. निर्मित पटाखा, सुतली बम, स्काई बम, लहसुन बम, छुरछुरी, आनार आदि (लगभग16 कुंटल अवैध पटाखा)
02. बनाने के उपकरण- 02 कुंटल बुरादा, 01 कुंटल लालरेत, 01 कुंटल पेपर, 50 किलो सुतली, 1.5 कुंटल सन, 2.5 कुंटल बारूद, 20 किलो पीला पाऊडर (कुल लगभग 8.7 कुंटल) बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक दुर्ग विजय सिंह
02. उ0नि0 सुनील कुमार सिंह

03. हे0का0 राकेश यादव
04. का0 विनीत प्रसाद
05. का0 हरिकेश यादव
06. म0का0 रंजना अवस्थी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 10.10.2024, मॉनिटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्षो का सश्रम कारावास व रु० 15,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अभियुक्त 01. रामबहाल खटिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री दानबहादुर सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर म0का0सुमन व थाना कोतवाली देहात के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोण्डा श्री राजबहादुर रामदेव यादव महोदय गोण्डा द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. रामबहाल खटिक पुत्र बाबूलाल खटिक निवासी खिरौरा मोहन, थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 -240/2002 धारा 307, 411 भादवि व 3(1)यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना को0देहात जनपद गोंडा।

मीडिया सेल, गोण्डा।